प्रेस नोट दिनांक 01.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़

ड्रोन लूटकांड का पर्दाफाश: थाना कंधई पुलिस ने लुटेरे गैंग के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार, ड्रोन कैमरा व अवैध असलहे बरामद

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई क्षेत्र में हुई तीन लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए किया गया खुलासा

अभियुक्तों ने शादी-विवाह समारोहों में कार्यरत ड्रोन कैमरा ऑपरेटरों को निशाना बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में तीनों लूट की घटनाओं को स्वीकार किया है, अभियुक्तों ने बताया कि वे छह लोगों का संगठित गिरोह बनाकर लूट की घटनाएं करते थे।

अभियुक्तों के पास से एक लूटा गया ड्रोन कैमरा, चार्जर, रिमोट व दो बैट्रियां घटना में एवं प्रयुक्त एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व अवैध देसी तमंचा 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया

अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना कंधई क्षेत्र के उमरपुर मोड़ के पास से हुई है। लूट की दो अन्य घटनाओं में प्रयुक्त कैमरे अभी फरार अभियुक्तों के कब्जे में हैं। अन्य साथियों के नाम व पता का खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

01- दिनांक 23/05/2025 को वादी का चचेरा भाई ग्राम पुरईपुर से रिकॉर्डिंग कार्य समाप्त कर अपने घर लौट रहा था। जब वह बनी चौराहे से लौवार नहर की दिशा में नहर माइनर के पास पहुँचा, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पीछे से उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ा। गिरते ही उपरोक्त अज्ञात व्यक्ति ड्रोन कैमरा से भरा बैग झपट्टा मारकर छीनकर मोटरसाइकिल से भाग निकले। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 114/2025 धारा 309(6) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

02- दिनांक 25/26-04-2025 में वादी रात्रि को दो साथियों के साथ ग्राम सेतापुर (सकरा), जनपद प्रतापगढ़ में शादी कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग का कार्य पूर्ण कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वे सेतापुर और चौबेपुर के बीच नहर के किनारे पहुँचे, पीछे से दो मोटरसाइकिलों पर सवार 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने आकर झपट्टा मारकर बैंगनी रंग के बैग में रखा ड्रोन कैमरा छीन लिया। विरोध करने पर वादी को नाक पर असलहे से मारा गया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 93/2025 धारा 309 (6), 115(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

03- दिनांक 10/05/2025 में रात्रि को वादी रायपुर पट्टी में बारात कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग का कार्य कर वापस लौट रहा था। रास्ते में तरदहा पावर हाउस के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार व्यक्तियों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने प्रार्थी पर कट्टा तान दिया और DJI AIR 3 ड्रोन कैमरा सहित बैग व जिसमें

₹10,000 नकद थे जबरन छीन लिया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 100/2025 धारा 309 (4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

लूट की घटना का सफल अनावरण-

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कंधई क्षेत्र में विगत दिनों लूट की गंभीर घटनाएँ सामने आई थीं, जिनमें शादी-विवाह कार्यक्रमों में कार्यरत ड्रोन कैमरा ऑपरेटरों को निशाना बनाकर उनके महंगे उपकरण एवं नकदी की लूट की गई थी। इन घटनाओं की बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, डॉ. अनिल कुमार द्वारा संबंधित स्थानीय थाने को तत्काल सख्त निर्देश दिए गए थे कि लूट की इन घटनाओं का शीघ्र अतिशीघ्र अनावरण किया जाए एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसी क्रम में आज दिनांक 02 जून 2025 को थाना कंधई पुलिस द्वारा इन लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। पुलिस टीम ने सूचना संकलन, तकनीकी विश्लेषण तथा मुखबिर की सहायता से सक्रियता दिखाते हुए लूट में शामिल अभियुक्तों को चिह्नित किया और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके कब्जे से लूटा गया ड्रोन कैमरा, अवैध तमंचा-कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गई है।

लूट की घटना स्वीकारते हुए अभियुक्तों ने किए अहम खुलासे-

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ में घटित लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ड्रोन कैमरा और नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के नाम एवं ठिकानों का भी खुलासा किया, जो घटना में शामिल थे तथा वर्तमान में फरार हैं। पुलिस द्वारा बताए गए नामों के आधार पर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कंधई गुलाबचन्द सोनकर व थाना कंधई के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 अभिनव, का0 बृजेश यादव, का विकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप सिंह मय चालक का0 जगजीत सिह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 114/2025 धारा 309(6) बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. राजू पटेल पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम रामपुर वेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2. दिनेश पटेल पुत्र फूलचन्द पटेल निवासी ग्राम रामपुर वेला वाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को दिनांक- 02.06.2025 को थाना कंधई क्षेत्रातर्गत उमरपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद ड्रोन कैमरा, 01 अदद चार्जर, 01 अदद रिमोट, 02 अदद वैट्री मय बाक्स एवं 01 अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है, जिसके संबंध में मु0अ0स0 114/2025 धारा 309(6) बीएनएस में धारा 309(6) का लोप करते हुये धारा 310(2) / 317 (2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त 01 पैशन प्रो मोटर साइकिल बरामद, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग लूट का 01 ड्रोन कैमरा वेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया हम दोनो के पास केवल एक लूट का ड्रोन कैमरा है। दिनाक 23.05.2025 की रात में लौयार नहर की तरफ ग्राम वनी से इस ड्रोन चार्जर रिमोट बैट्री से भरे बैग को हम छः लोगों ने मिलकर लौवार की तरफ जा रहे एक व्यक्ति से जो पुरईपुर शादी समारोह से ड्रोन कैमरा से रिकार्डिंग करके लौट रहा था। उससे यही ड्रोन सेट लूट कर इसी मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर से हम लोगों ने मिलकर इस ड्रोन कैमरा सेंट को लूट लिये थे।

हम छः लोगो का एक गैंग है। बरामद इसी तमंचे को दिखाकर डराकर शादी विवाह में ड्रोन कैमरा चलाने वालो से एकान्त जगह पर मौका पाकर लूट करते है क्योकि ड्रोन कैमरा काफी महंगा होता है। हम छ: लोगो द्वारा दिनांक 25/26.04.2025 की रात्रि को सेतापुर से शादी में ड्रोन कैमरा चला कर लौट रहे तीन व्यक्तियों से सकरा बाजार के बाहर नहर पुलिया के पास से एक ड्रोन कैमरा लूट लिये थे।

इसी तरह दिनांक 10.05.2025 की रात को तरदहा पावर हाउस के पास ग्राम रायपुर से शादी समारोह से ड्रोन कैमरा चला कर वापस लौट रहे एक व्यक्ति से हम लोगों ने मिलकर उसका ड्रोन कैमरा व दस हजार रुपया लूट लिये थे। इस घटना में छीने हुये पैसे को हम लोगो ने आपस में बाट लिया था जो कि खर्च हो गया है। पैसे की जरुरत थी इसलिए हम लोग इस कैमरे को बेचने के लिये जा रहे थे।

तरदहा पावर हाउस के पास व सकरा गांव से रात को लूटे हुये दोनो कैमरे हमारे अन्य साथियों के पास है। दिनांक 23.05.2025 की रात को बनी चौराहे से लौवार नहर के पास जो कैमरे की लूट हुयी थी वह हम दोनो के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राजू पटेल पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम रामपुर वेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

2. दिनेश पटेल पुत्र फूलचन्द पटेल निवासी ग्राम रामपुर वेला वाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त राजू पटेल पुत्र जीतलाल निवासी ग्राम रामपुर वेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 93/25 धारा 309 (6), 115(2) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 100/25 धारा 309 (4) वीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 114/2025 अन्तर्गत धारा 310(2)/317(2)/352/351 (2) (3)/3 (5) वीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

02- दिनेश पटेल पुत्र फूलचन्द पटेल निवासी ग्राम रामपुर वेला वाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 93/25 धारा 309 (6), 115(2) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 100/25 धारा 309 (4) बीएनएस थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 114/2025 अन्तर्गत धारा 310(2)/317(2)/352/351 (2) (3)/3 (5) वीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद ड्रोन कैमरा, 01 अदद चार्जर, 01 अदद रिमोट व 02 अदद वैट्री मय बाक्स बरामद।

01 अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिदा कारतूस 315 बोर बरामद।

01 अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द सोनकर व उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 अभिनव, का0 बृजेश यादव, का विकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप सिंह मय चालक का0 जगजीत सिह थाना कंधई, प्रतापगढ़।

बयान- इन घटनाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में गश्त, निगरानी और खुफिया संकलन को प्राथमिकता दी गई थी। थाना कंधई पुलिस की सक्रियता एवं टीमवर्क के परिणामस्वरूप लूट की घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी हमारी अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है। शेष फरार अभियुक्तों की तलाश में टीमें निरंतर कार्यरत हैं।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा सक्रिय 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना बाघराय पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट व पाक्सो एक्ट जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 04 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ0 श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना बाघराय -

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर /सदस्य 01. उमाशंकर उर्फ प्रदीप सरोज पुत्र भोलानाथ निवासी लाला का पुरवा सिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ जो अपने सदस्य 02. सुशील पाल पुत्र मयाराम पाल निवासी लाला का पुरवा सिया थाना

बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 03. राजेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ 04. विजय उर्फ हग्गन पुत्र भुल्लर सरोज निवासी गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ के विरूद्ध थाना बाघराय में मु0अ0सं0 96/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट व पाक्सो एक्ट के अपराधों को कारित किया है।

इस गिरोह के द्वारा दिनांक 3/4.09.2022 की रात्रि में 01 वादी के ट्यूबेल की कमरे में लगे लोहे के दरवाजे की कुंडी को तोड़कर सिंचाई हेतु एक विद्युत मोटर (क्राम्पटन) को ताला सहित चोरी कर लिये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 266/22 धारा 457/380 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ

इस गिरोह के लीडर व सदस्यों से दिनांक 03.11.2022 को स्थानीय पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से पल्सर मो0सा0 काले को कूट रचित कर लगाया जाना एवं मोटर साइकिल यामहा चे0नं0-मिटा हुआ व नम्बर प्लेट कूट रचित कर लगाया जाना व चोरी के बिजली का मोटर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भा0द0वि0 में पंजीकृत हुआ।

इस गिरोह के गैंगलीडर उमाशंकर उर्फ प्रदीप सरोज व सदस्य सुशील पाल, राजेश कुमार, विजय उर्फ हग्गन के विरुद्ध जनपद के भिन्न-भिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट व पाक्सो एक्ट जैसे मुकदमों में अभियोग पंजीकृत है।

01-अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र राम आसरे निवासी बरबसपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 261/18 धारा 308/323/324/325/352/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 266/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02. अभियुक्त सुशील पाल पुत्र मयाराम पाल निवासी लाला का पुरवा सिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 266/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

03-अभियुक्त उमाशंकर उर्फ प्रदीप सरोज पुत्र भोला निवासी लाला का पुरवा सिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 266/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतपागढ़।

3. मु0अ0सं0 297/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतपागढ़।

04- अभियुक्त विजय उर्फ हग्गन पुत्र भुल्लर सरोज निवासी गोगौर थाना बाघराय प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 266/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 293/2022 धारा 411, 419, 420, 467, 468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
3. मु0अ0सं0 384/2024 धारा 137(2), 64(1), 87 बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ तिवारी व आरक्षी संदीप कुमार की सतर्कता से 02 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना बाघराय के बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ तिवारी व आरक्षी संदीप कुमार ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ तिवारी व आरक्षी संदीप कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के बीट मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ तिवारी व आरक्षी संदीप कुमार को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्ठा मोड़ सड़क ग्राम धनवसिया के पास से गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त दुष्कर्म, पाक्सो, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, आर्म्स एक्ट, पाक्सो एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर मुख्य आरक्षी राजेन्द्र नाथ तिवारी व आरक्षी संदीप कुमार के सहयोग से थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 96/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़ में वांछित 02 अभियुक्तों, 1. उमा शंकर उर्फ प्रदीप सरोज पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम लाला का पुरवा सिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष, 2. विजय उर्फ हग्गन पुत्र भुल्लर सरोज निवासी ग्राम गोगौर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 27 वर्ष, को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्ठा मोड़ सड़क ग्राम धनवसिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-अभियुक्त उमाशंकर उर्फ प्रदीप सरोज पुत्र भोला निवासी लाला का पुरवा सिया थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 266/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 293/22 धारा 411/419/420/467/468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतपागढ़।

3. मु0अ0सं0 297/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतपागढ़।

02-अभियुक्त विजय उर्फ हग्गन पुत्र भुल्लर सरोज निवासी गोगौर थाना बाघराय प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 266/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

2. मु0अ0सं0 293/2022 धारा 411, 419, 420, 467, 468 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

3. मु0अ0सं0 384/2024 धारा 137(2), 64(1), 87 बी.एन.एस. व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, गाली गलौज, धमकी व मारपीट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम सुखपाल नगर उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत ग्राम सुखपाल नगर में वादी के पिता व चाचा को जमीनी विवाद में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में दिनांक-01.06.2025 को मु0अ0सं0- 134/25 धारा 191 (2)/190/115 (2)/352/351(2)/109(1) बीएनएस बनाम 10 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह हे0का0 शत्रुंजय शर्मा, का0 अफजाल अहमद, कां0 नवीन गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 01.अनिल कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्ण नारायण पाण्डेय 02. कौशलेन्द्र कुमार पाण्डेय सुत स्व० कृष्ण नारायण पाण्डेय निवासीगण ग्राम सुखपाल नगर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम सुखपाल नगर उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01.अनिल कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्ण नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम सुखपाल नगर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।

02.कौशलेन्द्र कुमार पाण्डेय सुत स्व0 कृष्ण नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम सुखपाल नगर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रोहित सिंह मय हमराह हे0का0 शत्रुंजय शर्मा, का0 अफजाल अहमद, कां0 नवीन गौतम थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, धमकी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना कुण्डा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत गयासपुर बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.01.2025 की रात्रि में वादी की पुत्री को गाँव का मो0 शारीफ द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गया था। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा- 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा- 87/137/70(2)/351(3) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध/3(2) VA SC/ST ACT से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 शारिफ पुत्र मो0साकिर उम्र 25 वर्ष निवासी दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत गयासपुर बायपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01- मो0 शारिफ पुत्र मो0साकिर उम्र 25 वर्ष निवासी दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दुन्दा का पुरवा भावनपुर में अभियुक्तगण के द्वारा, वादी जब अपने घर पर दरवाजे पर बैठा हुआ था जिस पर फायर कर हत्या का प्रयास किया गया तत्समय घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विकरा नहर पुलिया के पास से अभिरक्षा में लिया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगण द्वारा थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 10.12.2023 को ग्राम दुन्दा का पुरवा भावनपुर में, फायर कर हत्या का प्रयास करने के प्रकरण में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 283/2023 धारा 504, 307 भादवि बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का० प्रमोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना जेठवारा मे पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2023 धारा 504, 307 भादवि से संबंधित वांछित को थानाक्षेत्र जेठवारा के विकरा नहर पुलिया के पास से विधि का उल्लंघन करने वाला बाल अपचारी को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार का विवरण- 01. विधि का उल्लंघन करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पुलिस टीम- उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का० प्रमोद यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा सक्रिय 03 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, गोवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0 एनडीपीएस, मारपीट, धमकी आदि जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 03 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही-

गैंगलीडर अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अंसार उर्फ चितऊ उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद अमेठी में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, मारपीट जैसे संगीन कुल 14 अपराध दर्ज है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त बाबी उर्फ साकिर उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद रायबरेली में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट जैसे संगीन कुल 26 अपराध दर्ज है।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मोनू कुरैशी उर्फ शकिल उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद रायबरेली में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, मारपीट जैसे संगीन कुल 43 अपराध दर्ज है।

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ0 श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना सांगीपुर-

अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी सांगीपुर मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर /सदस्य, 01. गैंगलीडर अंसार उर्फ चितऊ पुत्र नासिर अली निवासी ग्राम भैंसना थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, सदस्य 2. बाबी उर्फ साकिर पुत्र इसराइल निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 3. मोनू कुरैशी उर्फ शकिल पुत्र सुन्दी अली निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष के विरूद्ध थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 107/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके सेलूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, गोवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0 एनडीपीएस, मारपीट, धमकी आदि के अपराधों को कारित किया है।

इस गिरोह पर थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं 28/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ पर मुअसं 29/2025 धारा 303 (2),317 (2) बीएनएस, मुअसं 30/2025 धारा 303(2),317 (2) बीएनएस, मुअसं 31/2025 धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस व थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ पर मु0अ0सं0 18 / 2025 धारा 331 (2),305,317 (2) बीएनएस, मुअ0सं 23/2025 धारा 331 (2),305,317 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है।

इस गिरोह के गैंगलीडर अंसार उर्फ चितऊ व सदस्य बाबी उर्फ साकिर मोनू कुरैशी उर्फ शकिल के विरुद्ध जनपद के भिन्न-भिन्न थानों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, विस्फोटक पदार्थ, गोवध निवारण अधि0, पशु क्रूरता अधि0 एनडीपीएस, मारपीट, धमकी आदि जैसे मुकदमों में अभियोग पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अंसार उर्फ चितऊ पुत्र नासिर अली निवासी ग्राम भैसना थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 986/2017 धारा 396/412 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

2. मु0अ0सं0 336/2020 धारा307/323/325/379/506 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

3. मु0अ0सं0 56/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 161/2019 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0 289/2023 धारा 323/325/341/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

6. मु0अ0सं0 305/2023 धारा 341/323/506 भादवि 3(1)द,3(1)ध,3(2) vA एससी /एसटी एक्ट सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

7. मु0अ0सं0 28/2025 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

8. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

9. मु0अ0सं0 22/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

12. मु0अ0सं0 30/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

13. मु0अ0सं0 31/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

14. मु0अ0सं0 107/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त बाबी उर्फ साकिर पुत्र इसराइल निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

1. मु0अ0सं0 184/18 धारा 147/148/149/323/332/336/353/307/504/506 IPC व 7 CLA ACT थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 185/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्टt थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 115/19 धारा 41/411 भादावि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 177/20 धारा 411,413 IPC थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0 331/20 धारा 379/411 भादंवि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

6. मु0अ0सं0 421/20 धारा 379/411 भादंवि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

7. मु0अ0सं0 31/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

8. मु0अ0सं0 75/21 धारा 307/353/332/504/506 IPC थाना डीह जनपद रायबरेली।

9. मु0अ0सं0 46/21 धारा 457/380/411/413 भादंवि0 थाना डीह जनपद रायबरेली।

10. मु0अ0सं0 112/21 धारा 379/411 भादंवि0 थाना डीह जनपद रायबरेली।

11. मु0अ0सं0 113/21 धारा 3/25 भादंवि0 थाना डीह जनपद रायबरेली।

12. मु0अ0सं0 139/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना डीह जनपद रायबरेली।

13. मु0अ0सं0 483/21 धारा 307 भादंवि0 थाना सलोन जनपद रायबरेली।

14. मु0अ0सं0 447/21 धारा 392/411 भादंवि0 थाना सलोन जनपद रायबरेली।

15. मु0अ0सं0 01/22 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

16. मु0अ0सं0 35/22 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

17. मु0अ0सं0 12/20 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

18. मु0अ0सं0 82/24 धारा 147/323/506/427/452 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

19. मु0अ0सं0 28/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

20. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

21. मु0अ0सं0 22/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

22. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

23. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

24. मु0अ0सं0 30/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

25. मु0अ0सं0 31/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

14. मु0अ0सं0 107/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त मोनू कुरैशी उर्फ शकिल पुत्र सुन्दी अली निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 43/17 धारा 3/5/8/11 गोबध अधिनियम व पशु क्रूरता अधि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 58/17 धारा 2/3 गै0एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 06/18 धारा 60 EX ACT थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 45/18 धारा 8/20 NDPS ACT थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0 116/18 धारा 323/504/506/427 IPC व 3(1) द SC/ST ACT थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

6. मु0अ0सं0 82/18 धारा 379/307/506 भादावि थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली।

7. मु0अ0सं0 15/19 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

8. मु0अ0सं0 129/19 धारा 308/506 भादवि व 3(1)द sc/st एक्ट थाना उदयपुर प्रतापगढ़।

9. मु0अ0सं0 115/19 धारा 41/411 भादावि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

10. मु0अ0सं0 130/19 धारा 307 भादावि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

11. मु0अ0सं0 131/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

12. 0अ0सं0 12/20 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

13. मु0अ0सं0 177/20 धारा 411,413 ipc थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

14. मु0अ0सं0 178/20 धारा 3/25 A ACT थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

15. मु0अ0सं0 18/21 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

16. मु0अ0सं0 31/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

17. मु0अ0सं0 46/21 धारा 457/380 भादंवि थाना डीह जनपद रायबरेली।

18. मु0अ0सं0 112/21 धारा 379/411 भादंवि थाना डीह जनपद रायबरेली।

19. मु0अ0सं0 116/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डीह जनपद रायबरेली।

20. मु0अ0सं0 139/21 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना डीह जनपद रायबरेली।

21. मु0अ0सं0 447/21 धारा 392/411 भादंवि थाना सलवन जनपद रायबरेली।

22. मु 0अ0सं0 452/21 धारा 392 भादंवि सलवन थाना जनपद रायबरेली।

23. मु0अ0सं0 483/21 धारा 307 भांदवि0 पुलिस मुठभेड थाना सलवन जनपद रायबरेली।

24. मु0अ0सं0 484/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलवन जनपद रायबरेली।

25. मु0अ0सं0 421/20 धारा 379/511 भादंवि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

26. मु0अ0सं0 16/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सलवन जनपद रायबरेली ।

27. 0अ0सं0 53/22 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

28. मु0अ0सं0 60/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

29. 0अ0सं0 146/23 धारा 458/382/323/506 थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

30. मु0अ0सं0 171/23 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

31. मु0अ0सं0 59/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना सलोन जनपद रायबरेली ।

32. 0अ0सं0 127/24 धारा 191(2)/115(2)/333/351(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

33. मु0अ0सं0 129/24 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

34. मु0अ0सं0 28/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

35. मु0अ0सं0 18/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

36. मु0अ0सं0 22/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

37. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 331(2)/305/317(2) बीएनएस थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

38. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

39. मु0अ0सं0 30/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

40. मु0अ0सं0 31/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

41. मु0अ0सं0 71/2020 धारा 188 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

42. मु0अ0सं0 301/2021 धारा 286/323/342/394/411/504/506 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

14. मु0अ0सं0 107/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अपराधियों में भय के वातावरण को बनाए रखने हेतु निरंतर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लूट, डकैती, चोरी, हत्या, अवैध असलहा, मादक पदार्थों की तस्करी, गैंग बनाकर आपराधिक कृत्य करने वाले सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इस अभियान का उद्देश्य संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के आर्थिक एवं आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर उन्हें कानून के दायरे में लाना है। थाना स्तर से गैंग की विस्तृत विवेचना कर तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। ऐसे तत्व जो समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करते हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

पुलिस की प्राथमिकता है कि जनपद को अपराधमुक्त एवं सुरक्षित बनाया जाए। आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्यवाही जारी रहेगी।